



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238608
CG-DL-E-05092022-238608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3971]
No. 3971]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

(दीपम)

अनुशेष अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

का.आ. 4152(अ).—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 58) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की अधिसूचना में पैराग्राफ 1 के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ 1क जोड़ती है जो भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) में का.आ. 3467 (अ) द्वारा 9 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित हुआ था अर्थात् :-

“1क. केन्द्र सरकार ने एस.यू.यू.टी.आई. के ‘बॉडी ऑफ पर्सन्स’ को दिनांक 01.10.2021 से आगे और तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 30.09.2024 तक जारी रखने को अनुमोदित कर दिया है”।

[फा. सं. 5/32/2003-यूटीआई एंड जेपीसी (खंड-V)]

परमा सेन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Investment and Public Asset Management)
(DIPAM)

ADDENDUM NOTIFICATION

New Delhi, 30th August, 2022

S.O. 4152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 7 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking & Repeal) Act, 2002 (No. 58 of 2002), the Central Government hereby adds the following paragraph 1A after paragraph 1 in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Asset Management, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub Section (ii), vide S.O. 3467(E), dated 9th November 2021, namely:-

“1A. The Central Government has also approved the continuation of ‘Body of Persons’ of SUUTI w.e.f. 01.10.2021 for a further period of three years i.e. 30.09.2024.”

[F. No. 5/32/2003-UTI &JPC(Vol-V)]

PARAMA SEN, Addl. Secy.